18-5-2026

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रकरण में गैरसालय अमरसिंह पुत्र श्री केशरसिंह, जाति–राव, निवासी–चान्दाणा, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही को नोटिस की तामिल होने के बावजूद गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण इस न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10–10–2025 से अब तक की अवधि के मध्य चार बार गिरफतारी वारन्ट जारी कर तामिली हेतु भिजवाये गये, जो इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुये कि गैरसायल काफी समय से बीमार है व ईलाज हेतु उदयपुर गया हुआ है व वर्तमान में घर पर नही है। गत सुनवाई तिथि 24–4–2026 पर गैरसायल के विरुद्ध जारी गिरफतारी वारन्ट भी इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ है कि गैरसायल घर पर नही है व किसी काम से बाहर गया हुआ है। चूंकि गैरसायल के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफतारी वारन्ट की तामिल नही हो पा रही है तथा गैरसालय काफी समय से बीमार है व ईलाज हेतु उदयपुर गया हुआ है तथा वर्तमान पर घर में नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः गैरसायल अमरसिंह पुत्र श्री केशरसिंह, जाति– राव, , निवासी–चान्दाणा, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही के विरुद्ध राजस्थान गुण्ड़ा नियत्रंण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत यह कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमा हरेकर नंबर से कम हो।

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.